राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, निकट यू0पी0 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226010
E-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता/महात्वपूर्ण

पत्रांकः–7050 /241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-IV दिनांक 16/11/ 2018

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ0प्र0।

2 समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम
उ0प्र0।

3. सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा,
उ0प्र0।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परि0/नगर पंचायत
उ0प्र।

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या संख्या–55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे दिनांक 13.11.2018 को सुनवाई के दौरान पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1929/69–1–2018–11(रिट)2014 दिनांक 30.10.2018 एवं इस कार्यालय के पत्र सं0–3477/241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-III दिनांक 18.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में शहरी बेघरों के कराये गये थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के आंकड़े प्रेषित कर सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों हेतु आश्रय निर्माण किये जाने के लिए भूमि का चिन्हांकन कर सूचना इस कार्यालय को तथा भूमि के अभिलेख डूडा के माध्यम से सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराकर डी0पी0आर0/कार्ययोजना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है जो कि अधिकांश शहरों से अप्राप्त है।

2. उक्त के साथ ही उक्त पत्रों में यह उल्लेख किया गया था कि जिन निकायों में 15 अथवा उससे कम की संख्या में शहरी बेघर पाये गये हैं वहां पर शहरी बेघरों के आश्रय की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर किये जाने की अपेक्षा की गई थी। इस सम्बन्ध में विगत दिनांक 17.10.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में जिन निकायों मे 0 से 25 तक शहरी बेघर पाये गये हैं वहां पर फिलहाल शेल्टर का नया निर्माण नहीं किया जायेगा तथा वहां पाये गये शहरी बेघरों के आश्रय की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों से सामुदायिक केन्द्रों/अन्य सरकारी भवनों में की जायेगी। उक्त कार्यवृत्त सं0–4871/241/NULM/तीन/2001(SUH)SLMC दिनांक 01.11.2018 के द्वारा आपको भी प्रेषित किया जा चुका है।

3. उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 13.11.2018 को प्रकरण मे सुनवाई के दौरान याचीकर्ता द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय को शपथ–पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान मे जाड़े के दृष्टिगत शहरी बेघरों को आश्रय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को आदेश पारित किया जाये। याचीकर्ता द्वारा अपने शपथ–पत्र मे कहा गया है कि वर्तमान मे शेल्टर होम का निर्माण पूरा होने मे समय लगने के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या मे अस्थाई शेल्टर की व्यवस्था शहरों मे सुनिश्चित की जाए, जिसमे निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

i. वर्तमान जाड़े को ध्यान मे रखते हुए अस्थाई आश्रय व्यवस्था के अन्तर्गत "पोटा केबिन नाइट शेल्टर" की व्यवस्था की जाये, जो कि कम लागत मे कम समय मे तैयार किये जा सकते हैं। अस्थाई शेल्टर की व्यवस्था प्रत्येक दशा मे 01 दिसम्बर 2018 तक सुनिश्चित कर ली जाये।

ii. अस्थाई शेल्टर मे आश्रय लेने वाले शहरी बेघरों हेतु साफ गद्दे, तकिया, कम्बल, रूम हीटर, स्वच्छ पेयजल (Portable Drinking Water), शौचालय एवं बाथरूम, फस्ट एड बाक्स, प्राथमिक

उपचार सुविधा, नशा मुक्ति उन्मूलन व्यवस्था के साथ ही साथ मच्छर मारने वाली मशीन एवं क्वाइल, मच्छरदानी की व्यवस्था प्रत्येक दशा मे सुनिश्चित करायी जाये।

iii. आवश्यकतानुसार पुरूषों, महिलाओं एवं बच्चों के आश्रय के लिए विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा एवं प्राइवेसी को ध्यान मे रखकर किया जाये।

iv. वृद्धों, अशक्त, दिव्यांग पुरूष, महिला एवं बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार विशेष अस्थाई आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आश्रय गृह मे प्रवेश हेतु कोई शुल्क अथवा पहचान जैसे आधार कार्ड आदि की बाध्यता नहीं की जानी है।

v. वर्तमान जाड़े के दृष्टिगत अस्थाई आश्रय गृह का संचालन 01 दिसम्बर 2018 से शहरी बेघर बाहुल्य क्षेत्रों जैसे बस स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास, मार्केट इत्यादि मे किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. उक्त आश्रय गृहों मे आश्रय हेतु शहरी बेघर बाहुल्य क्षेत्रों मे शहरी बेघरों को गतिशील किये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार, जागरूकता अभियान एवं रात्रि मे कैम्पेनिंग कराकर शहरी बेघरों को आश्रय गृह मे लाना सुनिश्चित किया जाये।

4. अस्थाई शेल्टर्स की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में किराये के भवन मे भी किये जाने के विकल्प पर विशेष परिस्थितियों मे नियमानुसार किया जा सकता है।

5. याचीकर्ता द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय मे शमथ–पत्र के माध्यम से किये गये उल्लिखित अनुरोध के सम्बन्ध मे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये हैं कि शहरों मे उक्त व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये तथा की गई व्यवस्था का विवरण राज्यों द्वारा आगामी तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया जाये। मा0 उच्चतम न्यायालय मे प्रकरण मे आगामी तिथि 29.11.2018 को नियत है। जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरों द्वारा की गई उल्लिखित व्यवस्था का विवरण निर्धारित संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा मे दिनांक 22.11.2018 तक सूडा उ0प्र0 को ई–मेल nulmup@gmail.com, suhnulmup@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि आख्याओं को संकलित कर मा0 उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

6. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन मे प्रदेश के नगरीय निकायों मे संचालित सभी शेल्टर होम (DAY-NULM) एवं (NON DAY-NULM) मे आश्रय लेने वाले व्यक्तियों की दैनिक सूचना पूर्व की भांति ही दिनांक 20.11.2018 से उल्लिखित ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक दशा में अपरहान 12:00 बजे तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है।

7. प्रस्तर–1 मे उल्लिखित पत्रों मे शेल्टर होम निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन की सूचना भी तदनुसार शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं निर्धारित तिथि तक अपेक्षित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16.11.2018

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

संलग्नक–यथोपरि

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से भी उपरोक्त के सम्बन्ध मे निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3 निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम।
4 समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
5 सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

16.11.2018

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या संख्या–55/2003 एवं 5729003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे दिनांक 13.11.2018 को सुनवाई के दौरान पारित अन्तरिम आदेश के अनपालन में अस्थाई शेल्टर की व्यवस्था के विवरण हेतु प्रारूप

क्र.सं.	शहर एवं जनपद का नाम	अस्थाई शेल्टर का विवरण (भवन का नाम आदि)	लोकेशन/मोहल्ले का नाम	क्षमता	थर्ड पार्टी सर्वेक्षण मे पाये गये शहरी बेघरों की संख्या	अस्थाई शेल्टर का क्षेत्रफल वर्ग मी0 मे	पत्र मे उल्लिखित सभी सुविधाओं की उपलब्धता का स्पष्ट विवरण	शेल्टर होम मे समन्वयन से की जा रही सेवाओं की उपलब्धता का विवरण	अस्थाई शेल्टर संचालन की तिथि	अन्य टिप्पणी

नोट – कृपया पारूप पुनः टाइप कर आवश्यकतानुसार कॉलम/स्पेस बढ़ा लें। विशेष ध्यान देकर थर्ड पार्टी सर्वेक्षण मे पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुसार सभी के लिए व्यवस्था करके आख्या उपलब्ध करायी जानी है।

नोडल अधिकारी शेल्टर होम का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर
मोबाइल नं0–
मोहर–
निकाय का नाम–
जनपद–

हस्ताक्षर
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी